प्रकरण क्रमांक :

पेशी दिनांक 21/10/13

माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर कैम्प इन्दौर

R-4215-III/13

श्री सुरेशचंद्र जोशी
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 21-10-2013
को प्रस्तुत
797/21-10-2013

1) रामचन्द्र पिता श्री मोतीराम जी खाती
आयु - 69 वर्ष, व्यवसाय - कृषि
निवासी - ग्राम बिजलपुर तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.)

1- अ- श्रीमती मनोरमाबाई वर्मा (खाती) पति स्व॰ श्रीरामचन्द्रजी
आयु 66 वर्ष, धंधा- गृहणी

ब- राजकुमार पिता स्व॰ श्री रामचन्द्रजी वर्मा
आयु 37 वर्ष धंधा- कृषि
अ व ब निवासी- ग्राम बिजलपुर तहसील जिला इन्दौर

2) हुकुमचन्द पिता श्री गोपीचन्द खाती
आयु - 67 वर्ष, व्यवसाय - कृषि
निवासी - ग्राम बिजलपुर तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.)

... प्रार्थीगण

विरूद्ध

1) म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर
जिला इन्दौर (म.प्र.)
2) अपर कलेक्टर जिला इन्दौर
3) अपर तहसीलदार इन्दौर
उक्त तीनों कार्यालय
प्रशासनिक संकुल मोतीतबेला, इन्दौर (म.प्र.)
4) प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
बिजलपुर कार्यालय - ग्राम बिजलपुर तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.)

... प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अर्ज :- अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959

प्रार्थीगण का सादर निवेदन है कि :-

श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय, जिला इन्दौर के द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 255/अ-74/2011-12 में पारित आदेश दिनांक

-2पर

17/08/2012 से असन्तुष्ट होकर प्रार्थीगण यह निगरानी निम्नलिखित कारणों से प्रस्तुत करते है :-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4215–दो / 13 जिला इन्दौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09–03–2016	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदकगण की ओर से अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–8–2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी दिनांक 28–10–2013 को लगभग एक वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । आवेदकगण की ओर से अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब का कारण आवेदकगण को अपर कलेक्टर के द्वारा आदेश पारित करने में सूचना नहीं देना दर्शाया गया है, जो कि समाधानकारक नहीं है । आवेदकगण द्वारा आवेदन पत्र में जानकारी का स्रोत नहीं दर्शाया गया है कि अपर कलेक्टर के आदेश की जानकारी किस दिनांक को किसके द्वारा हुई । ऐसी स्थिति में विलम्ब का कारण सद्भाविक मान्य नहीं किया जा सकता है । फलस्वरूप यह निगरानी अवधि बाह्य होने से निरस्त की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	